


प्रगति प्रतिवेदन

2013–2014



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

प्रगति प्रतिवेदन

2013—2014



अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
	निर्देशक मण्डल	
1.	प्रसारण निगम के मुख्य दायित्व	
2.	योजनावार पूँजीगत व्यय	
3.	योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियां	
4.	विचाराधीन एवं अन्य विद्युत उत्पादन योजनायें (भागीदारी एवमं निजी क्षेत्र)	
5.	विद्युत उत्पादन क्षमता	
6.	विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	
7.	ऊर्जा उपलब्धि, वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा एवं प्रसारण क्षति	
8.	निगम में नियोजित कर्मचारी	
9.	निगम का संगठनात्मक चार्ट	
10.	चरम मांग	

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण
निगम लिमिटेड

कम्पनी – निदेशक मण्डल

श्री आलोक, आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
श्री प्रवीण गुप्ता, आई.ए.एस.	निदेशक
श्री आर.जी. गुप्ता	निदेशक
श्रीमती सीमा श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
श्री बी. एन. सैनी	निदेशक (संधारण)
श्री एस.के. जैन	निदेशक (तकनीकी)

श्री विजय माथुर

कम्पनी सचिव

1. प्रसारण निगम के मुख्य दायित्व

1.1 इस कम्पनी के मुख्य दायित्व निम्न प्रकार से हैं :

पद्ध 400 के.वी., 220 के.वी. व 132 के.वी. विद्युत प्रसारण लाइनों एवं सब-स्टेशनों का निर्माण, परिचालन एवं संचालन सम्बन्धित कार्य ।

पपद्ध ऊर्जा के व्हीलिंग एवं तंत्र संचालन सम्बन्धित कार्य ।

पपपद्ध विद्युत सम्बन्धित सूचना और आंकड़ों का संकलन, अध्ययन एवं अन्वेषण, आधुनिकीकरण आदि के लिए अध्ययन एवं सुधारात्मक प्रयासों को लागू करना ।

पअद्ध राजस्थान डिस्कॉम्स पावर प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर एवं उत्पादन गृहों से परामर्श कर भार का पुर्वानुमान करना एवं उत्पादन लक्ष्य सूचित करना ,आदि ।

1.2 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी होने के कारण केन्द्रीय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत क्रय-विक्रय का कार्य नहीं कर सकता । इसलिये रा.रा. विद्युत उत्पादन निगम, पवन ऊर्जा संयंत्र, केप्टिव पावर प्लांट, केन्द्रीय विद्युत गृहों, विद्युत क्रय-विक्रय केन्द्रों एवं अन्य स्रोतों से विद्युत खरीद एवं विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति एवं व्हीलिंग में लगी हुई विभिन्न कम्पनियों तथा संस्थानों से ऊर्जा क्रय तथा ऊर्जा विक्रय अनुबन्धों का निष्पादन, समन्वय एवं सलाह का जो कार्य प्रसारण निगम करता आ रहा था, वह कार्य अप्रैल, 2004 से राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । विद्युत वितरण कम्पनियां एक केन्द्रीय सेल, राजस्थान डिस्कॉम्स पावर प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर (आर.डी.पी.पी.सी.), के माध्यम से यह कार्य कर रही हैं ।

2. योजनावार पूँजीगत व्यय

2.1 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत क्षेत्र को पूँजीगत कार्यो हेतु अधिक से अधिक धन राशि उपलब्ध करवाई गयी । प्रसारण क्षति को कम कर उपलब्धता बढ़ाने तथा उच्च गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रसारण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी रहे, तदनुरूप पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत एक बड़ा भाग प्रसारण तंत्र मद में खर्च किया गया ।

2.2 पंचवर्षीय योजनावार प्रसारण तंत्र मद में पूँजीगत व्यय :

क्र. सं.	योजना	विद्युत क्षेत्र हेतु योजना आवंटन (करोड़ रु.)	प्रसारण तंत्र मद में पूँजीगत व्यय (करोड़ रु.)
1	छठी योजना	641	135
2	सातवीं योजना	1069	209
3	वार्षिक योजना (1990-91)	276	62
4	वार्षिक योजना (1991-92)	335	70
5	आठवीं योजना	3913	883
6	नवीं योजना	6000	1047
7	दसवीं योजना	7777 (उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 2145 करोड़ रुपये)	1872
8	ग्यारहवीं योजना	25590(उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 4600 करोड़ रुपये)	7151.57 (मार्च, 2012तक)
9	बारहवीं योजना	71313.25(उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 12600 करोड़ रुपये)	3427.51 (प्रोविजनल) (दिसम्बर,2013तक)

'इसमें संक्रमण काल अवधि के दौरान दी जाने वाली नकद सहायता राशि 2000 करोड़ रु. सम्मिलित नहीं है।

2.3 वर्ष 2012-13 व 2013-14 के लिये प्रसारण मद में पूँजी व्यय की तुलनात्मक स्थिति :
(करोड़ रु.)

क्र सं.	विवरण	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
1	योजना प्रावधान	2244.00	2550.00
2	गैर योजना प्रावधान	76.12	105.38
3	कुल प्रावधान	2320.12	2655.38
4	कुल व्यय (प्रोविजनल)	2290.94	1136.57 (दिसम्बर,2013 तक)

3. योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

3.1 पूँजी निवेश :

वर्ष 2013-14 में, राज्य की वार्षिक योजना में प्रसारण निगम के कार्यों हेतु 2550 करोड़ रु. के आवंटन तथा कुल योजनागत एवं गैर योजनागत 2655.38 करोड़ रु. के प्रारम्भिक बजट अनुमानों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2013 तक 1136.57 करोड़ रु. का व्यय हुआ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)

मद	आवंटन/प्रावधान वर्ष 2013-14			कुल व्यय (प्रोविजनल) (दिसम्बर, 2013तक)		
	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल
1.उत्पादन (सर्वे एवं जांच कार्य सहित)	20.00	—	20.00	2.97	—	2.97
2. प्रसारण एवं अन्य	2530.00	105.38	2635.38	1133.60	—	1133.60
योग	2550.00	105.38	2655.38	1136.57	—	1136.57

3.2. भौतिक लक्ष्य :

वर्ष 2013-14 के दौरान उच्च प्रसारण कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

मद	इकाई	वर्ष 2013-14	
		संशोधित लक्ष्य	वर्षान्तर उपलब्धि (दिसम्बर,2013 तक)
क. लाईन कार्य			
765 के.वी.	परिपथ कि.मी.	426	—
400 के.वी.	परिपथ कि.मी.	425	—
220 के.वी.	परिपथ कि.मी.	550	218.291
132 के.वी.	परिपथ कि.मी.	425	321.120
ख. नये सब-स्टेशन:			
400 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	४ / 630	—
220 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	8 / 920	3 / 640
132 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	20 / 550	13 / 425'
ग.पुराने सब-स्टेशनों का क्षमता परिवर्द्धन	एम.वी.ए.	1800	1429
घ. कैपेसिटर बैंक	एम.वी.ए.आर.	75	81.45

' योजनान्तर्गत लगाये गये निम्न 132/33 के.वी.के अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की क्षमता सहित

- प) 132 के.वी. गिड सब-स्टेशन बाप पर 20/25 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर हटाकर 40/50एम.वी.ए.क्षमता का एवं पी.एस.-तृतीय(जोधपुर)पर 40/50एम.वी.ए.क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर।
- पप) 220 के.वी. गिड सब-स्टेशन आसपुर पर 20/25 एम.वी.ए. क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर।
- पपप) निर्माणाधीन 400 के.वी. गिड सब-स्टेशन रामगढ़(जैसलमेर) पर 20/25 एम.वी.ए. क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर।

3.3 उच्च प्रसारण क्षमता की योजनावार प्रगति :

मद	इकाई	आठवी योजना (1996-1997) के अन्त में	नवीं योजना (2001-2002) के अन्त में	दसवी योजना (2006-2007) के अन्त में	ग्यारहवीं योजना (2011-2012) के अन्त में	बारहवीं योजना	
						(2012-2013) के अन्त में	(2013-2014) (दिसम्बर,13) के अन्त में
क. उच्च प्रसारण लाइनें:							
400के.वी.	परिपथ कि.मी.	—	286.98	620.18	2904.79	3019.00	3019.00
220के.वी.	परिपथ कि.मी.	5691.22	6923.10	8418.25	11143.09	11805.46	12023.75
132के.वी.	परिपथ कि.मी.	9187.71	10562.40	12016.25	14315.41	14781.00	15100.62
66के.वी.	परिपथ कि.मी.	303.06	303.06	—	—	—	—
ख. ग्रिड सब स्टेशन:							
400के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	1 / 750	2 / 1380	4 / 2955	9 / 4845	9 / 5475	9 / 5790
220के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	30 / 5005	42 / 8005	54 / 10405	80 / 18425	86 / 19815	89 / 21005
132के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	160 / 5869	197 / 8294	259 / 11829.5	329 / 21202.5	348 / 23222	358 / 24211
66 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	1 / 43	1 / 40	— / 32	—	—	—

3.4. चालू वित्तीय वर्ष की भौतिक उपलब्धियों :

आलोच्य वर्ष में दिसम्बर,2013 तक पूर्ण की गयी नयी उच्च प्रसारण लाइनों, चालू किये गये नये ग्रिड सब-स्टेशनों तथा ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता परिवर्द्धन संबंधी पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :

3.4.1 नयी उच्च प्रसारण लाइनें :

विवरण	परिपथ एक/ दो	लम्बाई (परिपथ कि.मी.)	पूर्ण किये जाने की तिथि
400 के.वी. लाइनें		—	—
220 के.वी. लाइनें			
1. लीलो कार्य, हीरापुरा-खेतड़ी परिपथ को नीमराना-कोटपूतली परिपथ से जोड़ने के लिये 220के.वी. दो परिपथीय लाइन का षेप भाग	दो	8.140	15.07.2013
2. सांगानेर-मानसरोवर सैक्शन से 220के.वी ग्रिड सब-स्टेशन मानसरोवर(गैस इन्सुलेटेड) को जोड़ने के लिये केबल	एक	2.245	17.08.2013
3. हीरापुरा-मानसरोवर सैक्शन से 220के.वी ग्रिड सब-स्टेशन मानसरोवर(गैस इन्सुलेटेड) को जोड़ने के लिये केबल	एक	2.230	12.09.2013
4. 400के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन पी.जी.सी.आइ. एल.,जयपुर दक्षिण(चाकसू)से 220के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन,चाकसू तक	दो	15.910	24.10.2013
5. 220के.वी.डबल सर्किट दौसा -अन्ता लाइन का लीलो, 220 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन लालसोट पर	दो	21.364	13.11.2013
6. हिन्डौन-गंगापुरसिटी	दो	107.548	21.12.2013
7. लीलो कार्य 220के.वी.डबल सर्किट चित्तौड़गढ़ -देबारी लाइन का लीलो कार्य, 400 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन चित्तौड़गढ़ पर	दो	2.800	24.07.2013
8. 220के.वी. कांकरोली -बाली लाइन का लीलो, 220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन बामन का टूकड़ा पर	दो	4.314	06.09.2013
9. वर्तमान 220के.वी. खेतड़ी -रींगस लाइन का लीलो, 400 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन बबई पर	दो	1.880	31.10.2013
10. 220के.वी.डबल सर्किट बरसिंहसर -फलौदी लाइन का लीलो, 220 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन बाप पर	दो	51.060	19.08.2013, 20.08.2013
11. वर्तमान 132के.वी.अमरसागर-जी.टी.पी. पी.रामगढ़ लाइन का अपग्रेडेशन	एक	0.800	19.10.2013
योग:		218.291	
132 के.वी. लाइनें :			
1. 132 के.वी. धोलपुर-राजाखेड़ा लाइन का	दो	29.832	01.04.2013

लीलो,132 के.वी मानिया ग्रिड सब-स्टेशन पर			
2. 132 के.वी. किषनगढ़बास-खुषखेड़ा लाइन का लीलो,132 के.वी पुर कोटकासिम ग्रिड सब-स्टेशन पर	दो	11.088	01.04.2013
3. मनोहरपुर-षाहपुरा (द्वितीय सर्किट)	एक	13.151	08.07.2013
4. झकराना-मांडन	एक	31.895	14.11.2013
5. 132 के.वी. केकड़ी-देवली लाइन का लीलो,132 के.वी सावर ग्रिड सब-स्टेशन पर	दो	9.940	11.04.2013
6. एम.डी.एस.यू-पुष्कर रोड़	एक	11.706	12.04.2013
7. गंगापुर-रायपुर	एक	22.824	22.04.2013
8. मावली-सांवड़	एक	16.738	07.06.2013
9. धोद- दयालपुर	एक	30.170	11.06.2013
10. आजोलिया का खेरा-बस्सी	एक	18.310	27.07.2013
11. 132 के.वी. ब्यावर-गुलाबपुरा लाइन का लीलो,132 के.वी मसूदा ग्रिड सब-स्टेशन पर (गेन्ट्री कार्य 0.160सर्किट कि.मी. सहित)	दो	20.212	29.07.2013, 23.10.2013
12. 132के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन दांता-मै. कंचन इंडिया लि.,नानकपुरा दांता (डिपोजिट वर्क)	एक	2.475	15.09.2013
13. 132 के.वी. खेतड़ीनगर-बबई लाइन का लीलो,132 के.वी मेहरा ग्रिड सब-स्टेशन पर	दो	10.372	12.10.2013
14.महलपास-बुहाना	एक	14.251	15.10.2013
15. 132 के.वी. बादनु-जसरासर लाइन का लीलो,132 के.वी लालमदेसर बाड़ा ग्रिड सब-स्टेशन पर	दो	4.592	03.04.2013
16. 132 के.वी. पुगलरोड़-गजनेर लाइन का लीलो,220 के.वी गजनेर ग्रिड सब-स्टेशन पर	दो	31.102	05.04.2013
17. 132 के.वी. रेवदर-आबूरोड़ लाइन का लीलो, 132 के.वी रीको आबूरोड़ ग्रिड सब-स्टेशन पर	दो	0.976	06.04.2013
18 सांचोर-पालादर	एक	17.331	21.08.2013
19.132 के.वी. नापासर-बादनु लाइन का लीलो, 132 के.वी मुंडसर ग्रिड सब-स्टेशन पर	दो	5.400	21.10.2013
20. बैथवासिया-माटोरा	एक	18.755	15.11.2013
योग:		321.120	

3.4.2 नये ग्रिड सब-स्टेशन तथा विद्यमान स्टेशनों का क्षमता परिवर्द्धन :

ग्रिड सब-स्टेशन का नाम	वोल्टेज अनुपात(के.वी./के.वी.)	क्षमता (एम.वी.ए.)	चालू करने की दिनांक
अ. नवीन ग्रिड सब-स्टेशन :			
400 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1. मानसरोवर(गैस इन्सुलेटेड)	220 / 132	2*160	17.08.2013
2. बाप	220 / 132	160	19.08.2013
3. चाकसू	220 / 132	160	24.10.2013
योग:		640	
132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1. मानिया	132 / 33	20 / 25	01.04.2013
2. पुर कोटकासिम	132 / 33	20 / 25	01.04.2013
3. लालमदेसर बाड़ा	132 / 33	20 / 25	03.04.2013
4. सेडवा	132 / 33	20 / 25	06.04.2013
5. रीको आबूरोड़	132 / 33	20 / 25	06.04.2013
6. रायपुर	132 / 33	20 / 25	22.04.2013
7. सांवड़	132 / 33	20 / 25	07.06.2013
8. दयालपुरा	132 / 33	20 / 25	24.07.2013
9. बस्सी	132 / 33	20 / 25	30.07.2013
10. पालादर	132 / 33	20 / 25	23.08.2013
11. सावर	132 / 33	10 / 12.5	30.09.2013
12. मुन्डसर	132 / 33	20 / 25	21.10.2013
13. डाकन कोटडा	132 / 33	10 / 12.5	31.10.2013
योग:		300	
पूर्व में प्रारम्भ 132के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन पर 132/33 के.वी.का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, योजनान्तर्गत			
बाप	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	02.04.2013
पी.एस.- III	132 / 33	40 / 50	04.04.2013
पूर्व में प्रारम्भ 220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, योजनान्तर्गत			
आसपुर	132 / 33	20 / 25	19.05.2013
निर्माणाधीन 400के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, योजनान्तर्गत			
रामगढ़(जैसलमेर)	132 / 33	20 / 25	29.12.2013
क्षमता परिवर्द्धन :			
400 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1.भीलवाड़ा	400 / 220 / 132	315	06.05.2013
2. बाड़मेर	132 / 33	10 / 12.5(-)6	12.06.2013

220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1.वी.के.आइ.ए.	220 / 132	160(-)100	25.09.2013
2. अलवर	220 / 132	160(-)100	23.10.2013
3. नदबई	220 / 132	100	18.12.2013
4.खींवरसर	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	22.08.2013
5.देबारी	220 / 132	160(-)50	27.08.2013
6.रींगस	220 / 132	160(-)100	26.11.2013
7.हमीरगढ़	220 / 132	160	30.11.2013
8.नोखा	132 / 33	40 / 50	24.07.2013
132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1.फागी	132 / 33	10 / 12.5	31.07.2013
2.चोपान्की	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	17.08.2013
3.लक्ष्मणगढ़	132 / 33	20 / 25	30.10.2013
4.केलवाड़ा	132 / 33	15 / 20	19.12.2013
5.मुन्डावर	132 / 33	20 / 25	20.12.2013
6.हेसाबा	132 / 33	40 / 50(-)20 / 25	12.04.2013
7.कांकरोली	132 / 33	40 / 50	24.6.2013
8.जायल	132 / 33	20 / 25	10.07.2013
9.प्रतापगढ़	132 / 33	40 / 50(-)2' 10 / 12.5	27.07.2013
10.धारियावादा	132 / 33	20 / 25	12.08.2013
11.छोटी सादड़ी	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	18.10.2013
12.मंगलवाड़ा	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	23.12.2013
13. पी.एस.-4(जोधपुर)	132 / 33	10 / 12.5	06.05.2013
14.सांवरीज	132 / 33	20 / 25	11.07.2013
15.बगरा	132 / 33	20 / 25(-)10 / 12.5	18.07.2013
16.चामु	132 / 33	40 / 50(-)10 / 12.5	13.08.2013
17. खाजुवाला	132 / 33	10 / 12.5	10.10.2013
18.रावतसर	132 / 33	12.5	14.10.2013
19.चांदन	132 / 33	40 / 50	20.10.2013
20.साटा	132 / 33	10 / 12.5	24.10.2013
21.पीपाड़सिटी	132 / 33	10 / 12.5	18.11.2013
22.रानासर	132 / 33	10 / 12.5	21.11.2013
कुल क्षमता परिवर्द्धन		1429.0	

3.4.3वर्ष के दौरान कैपेसिटर बैंकों सम्बन्धित उपलब्धि :

क्रम सं.	सब-स्टेशन का नाम	क्षमता(एम. वी.ए.आर.)	चालू करने की दिनांक
1	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, महुवा	5.43	15.04.2013
2	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, धौलाकुंआ	5.43	15.04.2013
3	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, केलादेवी	5.43	15.04.2013
4	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, रीषभदेव	5.43	22.04.2013
5	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, आमेट	5.43	17.05.2013
6	220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, आसपुर	5.43	29.05.2013
7	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, सागवाड़ा	5.43	07.07.2013
8	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, रीको,भीलवाड़ा	5.43	09.07.2013
9	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, बागीडोरा	5.43	16.08.2013
10	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, नारवा	5.43	29.08.2013
11	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, बस्सी	5.43	25.09.2013
12	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन,थोई	5.43	31.10.2013
13	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, आअू	5.43	04.04.2013
14	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, बाप	5.43	20.05.2013
15	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, कलाउ	5.43	30.12.2013
	योग:	81.45	

4. विचाराधीन एवं अन्य विद्युत उत्पादन योजनायें

(भागीदारी एवं निजी क्षेत्र)

4.1 भागीदारी योजना :

क. राहुघाट विद्युत परियोजना-कास्केड चम्बल पन विद्युत परियोजना :

राहुघाट परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर करौली क्षेत्र में चार बांध बनाने व उन पर स्थापित विद्युत गृहों से कुल 270 मेगावाट(सम्भावित) विद्युत उत्पादन, राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50:50 भागीदारी के आधार पर प्रस्तावित था। नवीनतम परिस्थिति के अनुसार संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 5 जून 2012 द्वारा मुख्य वन्य जीव संरक्षक, राजस्थान सरकार को सूचित किया है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एन.बी.डब्लू.एल. स्टैंडिंग कमेटी की 22वीं बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2011 में लिये गये निर्णय में राहुघाट परियोजना को भी चम्बल नदी पर स्थापित करने हेतु सिफारिश कर दी गयी है। क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य के अन्तर्गत यह परियोजना आती है, इसलिए सर्वे एवं जांच कार्य एवं इ.आई.ए. स्टडी तथा ऐसी गतिविधियों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये उच्चतम न्यायालय की केन्द्र अधिकृत समिति को आवेदन किया गया है। इस हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत याचिका की सुनवाई दि.22.04.2013 को हुई, तथा मामले का निर्णय समिति द्वारा विचाराधीन है।

4.2 निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन योजनायें:

कपूरडी एवं जालीपा:

मैसर्स राजवेस्ट पावर लि. द्वारा बाड़मेर जिले के जालीपा-कपूरडी में लिग्नाईट आधारित 135 मेगावाट क्षमता प्रत्येक की आठों इकाइयों से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

4.3 गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत नीति के तहत परियोजनायें:

(क) पवन ऊर्जा आधारित संयंत्र :

राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000, 2003, 2004 एवं 2012 में विभिन्न पवन ऊर्जा नीतियाँ जारी की गयी। राज्य सरकार द्वारा जारी इन नीतियों के फलस्वरूप राज्य में माह दिसम्बर, 2013 तक कुल 2729.645 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आगामी तीन वर्षों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से 1200 मेगावाट क्षमता के अतिरिक्त संयंत्र स्थापित होने की संभावना है।

(ख) बायोमास पर आधारित परियोजनायें :

बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु फरवरी, 2010 में एक नई बायोमास नीति जारी की गयी थी। इस नीति के प्रावधानों के फलस्वरूप निजी निवेशकों ने बायोमास आधारित विद्युत परियोजना लगाने में रुचि दिखाई है। विगत चार वर्षों में 68 मेगावाट की परियोजनाएँ स्थापित की गयी हैं। इस प्रकार राज्य में माह दिसम्बर, 2013 तक कुल 11 परियोजनाएँ 114.3 मेगावाट क्षमता की स्थापित हो चुकी हैं। आगामी वर्षों में 20 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त बायोमास आधारित परियोजनायें स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) सौर ऊर्जा:

राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से निम्न सौर परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है :-

1. भारत सरकार की जीबीआई स्कीम के तहत 8 मेगावॉट की 2 परियोजनाएँ।
2. राष्ट्रीय सोलर मिशन की माईग्रेशन स्कीम में कुल 66 मेगावॉट की 11 परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं, इनमें से 35 मेगावॉट क्षमता की 7 परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन हो रहा है।
3. भारत सरकार द्वारा जारी आरपीएसएसजीपी स्कीम के तहत 1-1 मेगावॉट की 12 परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं हैं एवं समस्त परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन हो रहा है।
4. राष्ट्रीय सोलर मिशन के अन्तर्गत राजस्थान को फेज-1 बेच-1 के तहत कुल स्वीकृत 100 मेगावॉट क्षमता सोलर पीवी की 20 परियोजनाएँ एवं 400 मेगावॉट की सोलर थर्मल की चार परियोजनाएँ आवंटित हुईं हैं इनमें से सोलर पीवी की 20 परियोजनाओं से 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है एवम् सोलर थर्मल की एक परियोजना से 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। शेष अन्य परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
5. राष्ट्रीय सोलर मिशन के अन्तर्गत राजस्थान को फेज-1 बेच-2 के तहत कुल स्वीकृत 295 मेगावॉट क्षमता सोलर पीवी की 24 परियोजनाएँ आवंटित की गईं, जिनमें से 23 परियोजनाओं से 285 मेगावॉट विद्युत उत्पादन हो रहा है।
6. भारत सरकार की केन्द्रीय वित्तीय योजना के तहत निगम द्वारा एम.एन.आर.ई. के प्रदर्शन परियोजना के तहत 1 मेगावॉट की परियोजना गांव फागी (जयपुर) में माह मार्च 2012 में स्थापित हो चुकी है।
7. राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2011 दिनांक 19.04.2011 को जारी की जा चुकी है। इस नीति के तहत ओपन एक्सेस योजना में स्वीकृत 40 मेगावॉट क्षमता के फोटोवोल्टेक परियोजना की स्थापना मार्च 2012 में हो चुकी है एवं 150 मेगावॉट क्षमता की 1 परियोजना की एसएलएससी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
8. राजस्थान सौर विद्युत नीति-2011 के अन्तर्गत आरईसी मैकेनिज्म योजना में कुल 171.75 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं हैं, जिसमें से 137 मेगावॉट क्षमता की 50 परियोजनाएँ स्थापित हो चुकी हैं एवं शेष का कार्य प्रगति पर है।
9. राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2011 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 75 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेक की सात परियोजनाओं हेतु उत्पादनकर्ताओं के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किये जा चुके हैं। इन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
10. राजस्थान सौर विद्युत नीति-2011 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 1-1 मेगावाट की 50 सोलर फोटोवोल्टेक परियोजनाओं के चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कर लिये गये हैं। इस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन 19.11.2009 को जारी किया गया है, जिसके तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण सौर पॉवर निवेशकों ने राजस्थान में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का उत्साह प्रकट किया है। अक्षय ऊर्जा में अब तक (माह दिसम्बर, 2013 तक) 933 कम्पनियों ने लगभग 18872.3 मेगावॉट क्षमता के प्लांट लगाने हेतु अपने प्रोजेक्ट्स को पंजीकृत करवा लिया है।

5. विद्युत उत्पादन क्षमता

5.1 वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 12275.88 मेगावाट थी । वर्ष 2013-14 (दिसम्बर,13तक) मे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की तृतीय इकाई से 250 मेगावाट की वृद्धि हुई है तथा केन्द्रीय परियोजनाओं से आंवटन के अन्तर्गत उरी पन विद्युत गृह के चरण द्वितीय की प्रथम एवं तृतीय इकाई से 13.68 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में मै. अडानी पावर की तापीय परियोजना की प्रथम इकाई से 600 मेगावाट की वृद्धि हुई है। गैर पारम्परिक स्रोतों के अन्तर्गत पवन विद्युत गृहों से 47.10 मेगावाट, बायोमास विद्युत गृहों से 8 मेगावाट तथा सोलर विद्युत गृहों की स्थापना से 66.75 मेगावाट(राज्य का हिस्सा) की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 (दिसम्बर,13 तक) राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 13261.42 मेगावाट(प्रोवि.) रही ।

5.2 राज्य को उपलब्ध उत्पादन क्षमता का स्रोतवार विवरण निम्नानुसार है :-

(मेगावाट)

स्रोत	वर्ष 2012-13की समाप्ति पर	वर्ष 2013-14 (दिसम्बर,13 तक)
1.राज्य के भागीदारी/ स्वयं द्वारा संचालित :		
क. तापीय	3590.00	3840.00
ख. पन	1011.80	1011.80
ग. गैस	553.50	553.50
योग-1	5155.30	5405.30
2.केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित एवं राज्य को आवंटित		
क. तापीय	1261.49	1261.49
ख. पन	537.15	550.84
ग. गैस	221.10	221.10
घ. आणविक	556.74	556.74
योग-2	2576.48	2590.17
3.आर.आर.ई.सी.,आर.एस.एम.एम.लि.व अन्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित:		
पवन	2682.55	2729.65
बायोमास	91.30	99.30
सोलर	310.25	377.00
तापीय	1460.00	2060.00
योग-3	4544.10	5265.95
योग(1+2+3)	12275.88	13261.42

6. विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

6.1 विद्युत क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर राष्ट्रीय आम सहमति एवं न्यूनतम आवश्यक राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत 1998 में भारत सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को कार्यान्वित किया। विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम में राजस्थान का स्थान अग्रिम श्रेणी में रहा है। विद्युत क्षेत्र में दायित्वों के विषिष्टीकरण, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता तथा निर्णायक उत्तरदायित्वों को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन, विद्युत क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, तथा क्षेत्र के प्रभावी, कार्य-कुशल एवं स्वतंत्र नियमन के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2000 को राज्य विद्युत मंडल के कार्यों का भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निम्न, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण की तीन, अलग-अलग कम्पनियों में विभाजन कर गठित किया गया :-

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

6.2 राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अधिनियम के अनुरूप, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण 19 जून, 2000 को हो गया तथा राज्य सरकार ने दिनांक 19 जुलाई, 2000 को आदेश जारी कर अधिनियम, 1910 की धारा 27 (बी) के तहत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) घोषित किया।

6.3 विद्युत अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन :

अ. राज्य सरकार ने दिनांक 29.1.2004 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39(1) के अधीन राज्य प्रसारण निकाय (एसटीयू) घोषित किया है।

ब. भारत सरकार द्वारा 10 जून, 2003 से विद्युत अधिनियम, 2003 लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एसटीयू (प्रसारण कम्पनी) विद्युत के क्रय विक्रय संबंधी क्रियाकलाप नहीं कर सकेगी। इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 द्वारा प्रसारण निगम से 1.4.2004 से थोक प्रदाय (विद्युत क्रय विक्रय की) गतिविधि पृथक कर संबंधित अधिकार राज्य की तीनों वितरण कम्पनियों में समाहित कर दिये, तभी से राज्य की तीनों वितरण कम्पनियां अपनी आवश्यकता की विद्युत निर्धारित अलोकेशन के अनुसार सीधे केन्द्र या राज्य की उत्पादन इकाइयों से वितरण निगमों के लिए नवगठित राजस्थान डिस्कॉमस् पावर प्रोक्योरमेंट सेन्टर के माध्यम से क्रय कर रही हैं।

स. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39, 40 के अन्तर्गत राजकीय प्रसारण निकाय (एस.टी.यू.) द्वारा उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस के लिए प्रसारण तंत्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अधिनियम की धारा 42 एवं 180 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने अधिसूचना सं. 25 दिनांक 26.5.2004 द्वारा ओपन एक्सेस के विनियम जारी कर

दिये हैं। 1 एम.वी.ए. एवं इससे अधिक भार वाले उपभोक्ता 1.4.2008 से इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में निगम द्वारा राज्य नियामक आयोग के द्वारा अधिसूचित ओपन एक्सेस नियमों की पालना में दीर्घकालीन व लघुकालीन ओपन एक्सेस के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

6.4 विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सलाहकार नियुक्त किये गये हैं :-

क. प्रसारण कम्पनी में आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण पत्र :-

प्रसारण कम्पनी को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणीकरण हेतु मैसर्स इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रा.लि. मुम्बई को चयनित किया गया, जिसके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में नियमानुसार रा.रा.वि.प्र.नि. के विभिन्न कार्यालयों की आडिट की गयी। तत्पश्चात् प्रसारण कम्पनी को, अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी मानकों पर खरा उतरने के पश्चात् दिनांक 5जून,2008 को आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाण पत्र जारी किया गया। माह जून, 2009 में प्रथम सर्वेलेन्स आडिट कर मै. इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज द्वारा सफलता प्रमाण पत्र दिया गया। इसी दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्था द्वारा स्टेण्डर्ड के नवीनीकरण कर आई.एस.ओ. 9001:2008 जारी किया गया, अतः प्रसारण निगम द्वारा भी अपने डॉक्यूमेंट, क्वालिटी मैनुअल इत्यादि का अपग्रेडेशन नवीन मानक के अनुसार किया गया व तत्पश्चात् मैसर्स इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज द्वारा द्वितीय सर्वेलेन्स आडिट आई.एस.ओ. 9001:2008 के मानकों के अनुसार की गयी तथा नवम्बर,2010 में प्रसारण निगम को आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्था का प्रमाण पत्र दिया गया। मै. आई.सी.एस. द्वारा वर्ष 2013 की सर्वेलेन्स आडिट सफलतापूर्वक करवा ली गयी है। आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण पत्र 3 जून,2014 तक वैध है। नवीनतम मानकों के अनुसार 62 इन्टर्नल ऑडिटर्स का प्रशिक्षण करवा दिया गया एवं प्रशिक्षित ऑडिटर्स द्वारा सारे कार्यालयों की इन्टर्नल क्वालिटी ऑडिट प्रक्रियाधीन है।

ख. केन्द्र सरकार की नीति (टैरिफ बेस्ड कम्पीटिटिव बिडिंग) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से केस-1 व

केस-2 के तहत ऊर्जा क्रय करना :-

मै. पी.एफ.सी. कन्सल्टिंग लि., नई दिल्ली को केस -1 व केस-2 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से ऊर्जा क्रय हेतु निजी क्षेत्र के भागीदारों का चयन करने के लिये सलाहकार नियुक्त किया गया।

केस-1(I) कवई (बारा) उर्जा संयंत्र (1200मेगावाट) परियोजना: बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1200 मेगावाट क्षमता की विद्युत आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी। प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन के उपरान्त मै. अडानी पॉवर राजस्थान लि. (चयनित निर्माणकर्ता) से 1200 मेगावाट हेतु दिनांक 28.01.2010 को विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया गया। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 31.05.2010 के द्वारा लेवलाइज्ड टैरिफ रु. 3.2383/यूनिट को भी अपना लिया गया। उक्त संयंत्र की प्रथम यूनिट से 31.05.2013 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है एवं द्वितीय यूनिट से दि. 24.12.2013 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

केस-1(II) राज्य की वितरण कम्पनियों की ओर से 1000मे.वा. विद्युत, केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप दीर्घकालीन क्रय करने हेतु रा.रा.वि.प्र.नि. ने प्रस्ताव आमन्त्रित कर दिनांक 18.09.2012 को अविस्तीय प्रस्ताव खोल लिये गये हैं। अविस्तीय प्रस्तावों के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर निजी कम्पनी का चयन किया जायेगा जिसके साथ वितरण

निगम क्रय अनुबन्ध करेंगे। विद्युत वितरण निगमों द्वारा राज. प्रसारण निगम को दीर्घ अवधि (25 वर्ष) के लिये भारत सरकार के केस-1 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के दिशा

निर्देशों के माध्यम से 1000मे.वा. (+,-) 10: विद्युत खरीद प्रक्रिया के लिये अधिकृत किया गया था। आर.एफ.पी. दस्तावेज विद्युत वितरण निगमों द्वारा विधिवत अनुमोदित करा कर विभिन्न निविदादाताओं को जारी किये गये थे। गैर-वित्तीय और वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात् निम्न सफल निविदादाताओं को आषय पत्र जारी किये गये:-

क्र.सं.	निविदाकर्ता	क्षमता, जिसके लिये आषय पत्र जारी किया गया(मे.वा.)	लेवलाइज्ड टैरीफ(रूपये/यूनिट)	जारी आषय पत्र का क्रं/दिनांक
1	मै. पी.टी.सी.इन्डिया लि. ,डवलपर मै.मारुति क्लीन कोल एवं पावर लिमिटेड	195+55	4.517	757 / 24.09. 2013 एवं 784 / 27.09. 2013
2	मै. पी.टी.सी.इन्डिया लि. ,डवलपर मै.डी.बी.पावर लिमिटेड	410	4.811	785 / 27.09. 2013
3	मै.लेन्को पावर लि. उत्पादन स्रोत-मै.लेन्को बबन्ध पावर लिमिटेड	350	4.892	786 / 27.09. 2013
	कुल	1010		

उपरोक्त उत्पादन कम्पनियों द्वारा वितरण निगमों से दिनांक 01.11.2013 को ऋय अनुबन्ध किये गये हैं। इस सन्दर्भ में टैरिफ अडोपशन याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दिनांक 28.11.2013 को दायर कर दी गई है।

केस-2(1) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 1320 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र पूर्व में राजस्थान के छबड़ा (बारां) में प्रस्तावित था जिसे राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा अब बांसवाडा जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिये एक नई कम्पनी "बांसवाडा थर्मल पावर कम्पनी लि". का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा करा लिया गया है। कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति भी कर दी गयी है। कोल लिंकेज व कोल ब्लॉक आवंटन हेतु दिनांक 16.04.2009 को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पानी का आवंटन भी कर दिया गया है। इस परियोजना हेतु 1306 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि के अधिग्रहण के लिये रु. 2.26 करोड़ (सरकारी भूमि) व रु 31.19 करोड़ (खातेदारी भूमि) राज्य सरकार के भूमि अवाप्ति अधिकारी बांसवाडा को दिये जा चुके हैं। भूमि पर चारदिवारी बनवाने का निर्णय कर कार्यवाही की जा रही है। राज्य विद्युत् नियामक आयोग के आदेश दि.11.08.2009 के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रसारण निगम द्वारा, नये आर.एफ.क्यू. जारी करने की कार्यवाही, कोयला आवंटन के पश्चात् ही किये जाने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना हेतु ईंधन आपूर्ति के लिये दिनांक 29.12.2011 को कोल ब्लॉक तथा कोल लिंकेज के लिये कोल मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पुनः प्रार्थना की गयी है। परियोजना के लिये रेल लाईन रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाडा बनाये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.12.2012 को रेल मंत्रालय को रेलवे लाइन के निर्माण की 50 प्रतिषत राशि उपलब्ध करवाने हेतु मंजूरी दे दी गयी है। रेलवे लाईन की राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि (1200 करोड़ रूपये) का 50 प्रतिषत इस परियोजना के चयनित निर्माणकर्ता द्वारा एवं शेष 50 प्रतिषत राशि को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। इस लाइन के लिये रेलवे

साइडिंग का प्लान फाइनल कर दिया गया है। दि. 07.08.2012 व 02.04.2013 की स्टेट लेवल कार्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में चीफ सेक्रेट्री, राज.सरकार द्वारा इस कार्य की प्रोग्रेस ली गयी है। दि. 01.02.2013 को विद्युत उत्पादन निगम के साथ कोल ब्लाक आवंटन के लिये कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को पुनः प्रार्थना की गयी है।

केस-2(II) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 70 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान के गुढा (पश्चिम) बीकानेर में, राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिए मैसर्स पावर फाइनैस कारपोरेशन को कार्यादेश जारी कर दिया गया तथा पावर प्राजेक्ट के लिए भूमि आवंटन हेतु आर. एस.एम.एम.लि. ने सहमति प्रदान की है। पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन के लिए पर्यावरण नियंत्रण मण्डल ने टी.ओ.आर. को दिनांक 24.06.2009 एवं पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 29.12.2011 को प्रदान की है। दिनांक 07.07.2009 को आर.एफ. क्यू जारी कर दिया गया तथा दिनांक 13.10.2009 को निविदा खोली गयी। आर.एफ. क्यू का आंकलन चयन समिति द्वारा कर, योग्य निविदाकारों को आर.एफ. पी. जारी कर दिये गये हैं। इस परियोजना के अवितीय तथा वित्तीय प्रस्तावों का आंकलन बिड एवेल्युषन कमेटी द्वारा किया गया जिसके तहत मै. एस.पी.एम.एल. एण्ड कन्सोर्टियम को एल-1 बिडर घोषित किया गया जिसे रा.वि.प्र.नि. बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया। तदुपरान्त मै. एस.पी.एम.एल. कन्सोर्टियम को दिनांक 15.12.2011 को आषय पत्र जारी कर दिया गया है। ईंधन आपूर्ति अनुबन्ध के प्रारूप को आर.एस.एम.एम.लि. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आर. एस.एम.एम. एल. ने भूमि दिनांक 12.12.2012 को गुढा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड के नाम कर दी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 08.01.2013 को हो गयी। षेयर परचेज एग्रीमेंट दि.30.05.2013 को हो चुका है एवं सफल निविदाकार गुढा थर्मल पावर कम्पनी लि. को दि. 30.05.2013 को यह परियोजना हस्तांतरित कर दी गयी। गुढा थर्मल पावर कम्पनी लि. एवं वितरण कम्पनियों के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट दि. 26.06.2013 को हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा विद्युत उत्पादन 2016 में होना संभावित है।

केस-2(III) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा गिरल इकाई 3 व 4 (2*125 मेगावाट क्षमता) का विद्युत संयंत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 15.01.2010 के तहत स्थापित किया जाना है। इस कार्य के लिये राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को नोडल ऑथोरिटी बनाया गया है। विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिये मैसर्स पावर फाइनैस कारपोरेशन कंसल्टिंग लि. को सलाहकार नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के दिषा निर्देश के तहत एक नई कम्पनी "बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लि."के नाम से पंजीकरण, कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 05.07.2010 को हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जल व भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आर.एफ.क्यू निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है तथा सफल निविदा कर्ताओं को आर.एफ.पी. दिनांक 10.05.2011 को जारी कर दिया गया। ईंधन (लिग्नाइट) की सप्लाई के लिये आर.एस.एम.एम. से मॉडल एफ.एस.ए.को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया 16.08.2012 को हो गयी है। आर.एफ.पी. निविदा दिनांक 28.12.2012 को खोली गयी। मूल्यांकन के बाद तीन निविदाओं (अवितीय) में से केवल एक ही निविदा योग्य पाई गयी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में एकल निविदा (आर.एफ.पी.)(वितीय) खोलने की अनुमति के लिये याचिका दि. 12.03.2013 को दायर की गयी, जिसकी सुनवाई दि.10.04.2013 को की गयी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के दि. 15.04.2013 के निर्णय में एकल निविदा पर आगे की कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी गयी। इसकी सूचना श्रीमान ऊर्जा सचिव, राज.सरकार को पत्र दि.03.05.2013 के द्वारा भेज दी गयी है। इस निर्णय से राज.राज्य विद्युत प्रसारण निगम के बोर्ड को 14.05.2013 को अवगत कराया गया। पत्र दि.05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार से दुबारा निविदा की अनुमति मांगी गयी है, इस संबंध में राज्य सरकार के दिषा निर्देश अपेक्षित है।

केस-2(ए) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 1000 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान के केषोरायपाटन (जिला-बूंदी) में राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 19.07.2010 के तहत स्थापित किया जाना है। इस कार्य के लिये राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिये मैसर्स पावर फाइनैस कारपोरेशन कंसल्टिंग लि. को सलाहकार नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत एक नई कम्पनी "केषोरायपाटन गैस थर्मल पावर कम्पनी लि" नाम से पंजीकरण, कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 17.09.2010 को हो गया है। राज्य सरकार द्वारा भूगर्भ मिलाई की (458 बीघा) भूमि का आवंटन कर दिया गया है। तथा भूमि का कब्जा दिनांक 22.06.2010 को प्राप्त कर लिया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना के लिये जल का आवंटन कर दिया गया है। गैस आवंटन के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को 26.10.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। गैस ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया से गैस सप्लाई के लिये टर्म शीट पर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये हैं। नगर पालिका केषोरायपाटन से अतिरिक्त 23.71 हेक्टेयर भूमि खरीदी गयी जिसका भुगतान किया जा चुका है एवं भूमि कब्जे की कार्यवाही जारी है।

ग. केन्द्र सरकार की नीति (प्रभुत्व आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा)के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की

भागीदारी द्वारा प्रसारण परियोजनाओं का विकास :-

राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रसारण परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु एक राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया है। उक्त प्राधिकृत समिति ने इसकी पहली बैठक में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का निर्णय किया व राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को प्रसारण सेवा प्रदाता के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया संयोजक प्राधिकृत किया गया। उक्त प्राधिकृत समिति ने इसकी दूसरी बैठक में भूमि के आधार पर निविदाये जारी किये जाने का निर्णय किया। उपरोक्त निर्णयों के अनुसार रा.रा.वि.प्र. निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये निविदाये दिनांक 27.02.2009 को जारी की व निविदा प्रलेख दिनांक 01.03.2009 को जारी किये गये। प्राप्त निविदाये दिनांक 04.11.2009 को खोली गयी। तीन प्रसारण परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं (400 के.वी. बीकानेर- डीडवाना लाइन, 400 के.वी. हिन्डौन-अलवर लाइन व डीडवाना और अलवर पर सब-स्टेशन) हेतु आषय पत्र दिनांक 30.09.2010 को मैसर्स जी. एम.आर. एनर्जी लिमिटेड (एल-1 बोलीदाता) के पक्ष में जारी कर दिये है। तीसरी प्रसारण परियोजना (220 के.वी. सीकर-नवलगढ-झुंझुनू लाइन व नवलगढ सब स्टेशन) हेतु आषय पत्र दिनांक 23.02.2011 को मै.एम.को लिमिटेड को जारी कर दिया गया है। पहली दो परियोजनाओं के लिये प्रसारण अनुज्ञा पत्र (ट्रान्समिशन लाइसेंस) दि. 14.08.2012 को जारी कर दिये थे तथा प्रसारण प्रभुत्व स्वीकृति (ट्रान्समिशन टैरीफ अडजस्टमेंट) दि.30.09.2012 को दे दी गयी। तीसरी परियोजना के लिये प्रसारण

अनुज्ञा पत्र (ट्रांसमिषन लाइसेंस) दि. 08.10.2013 को जारी कर दिया है तथा प्रसारण प्रभुल्क स्वीकृति (ट्रांसमिषन टैरीफ अडप्शन) दि.27.08.2013 को दे दी गयी है। तीन परियोजनाओं में से एक परियोजना (400के.वी. बीकानेर –डीडवाना लाइन व डीडवाना पर सब–स्टेशन) का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । दूसरी परियोजना (400के.वी. हिन्दौन–अलवर लाइन व अलवर पर सब–स्टेशन) का कार्य अतिषीघ्र पूर्ण होने जा रहा है। तीसरी परियोजना (220के.वी. सीकर–नवलगढ़–झुंझुनुं लाइन व नवलगढ़ पर सब–स्टेशन) का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति ने दो नई परियोजनाओं (400 के.वी. बबई– जयपुर नॉर्थ लाइन, 400 के.वी. जोधपुर–उदयपुर लाइन व जयपुर नॉर्थ और उदयपुर पर सब–स्टेशन)का, प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निजी क्षेत्र में बूम के आधार पर देने हेतु चयन किया है। निविदायें जारी की जा चुकी हैं। उक्त परियोजनाओं की निविदायें क्रमशः 05.12.2012 एवं 23.11.2012 को खोली जा चुकी हैं तथा इन दोनों नयी परियोजनाओं का आषय पत्र दि. 12.07.2013 को मै. एम्को–सी.एस.पी.पी.एल. कन्सोर्टियम (एल–1 बोली दाता) के पक्ष में जारी कर दिये हैं तथा एस.पी. वी. एवं टी.एस.ए. का कार्य प्रगति पर है।

7. ऊर्जा उपलब्धि, वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा एवं प्रसारण क्षति

7.1 राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम राज्य में विद्युत प्रसारण एवं विद्युत के थोक प्रदाय हेतु अधिकृत किया गया था । इस हेतु उत्पादन निगम, राज्य के अन्दर विभिन्न उत्पादन गृहों, केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं, साझेदारी परियोजनाओं आदि से विद्युत प्राप्त कर विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य मार्च,2004 तक कर रहा था। तत्पश्चात विद्युत अधिनियम,2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रैल, 2004 से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, पवन ऊर्जा संयंत्र, केप्टिव पावर प्लांट, केन्द्रीय विद्युत गृहों, विद्युत क्रय विक्रय केन्द्र व अन्य स्रोतों से विद्युत खरीद एवं विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति एवं व्हीलिंग में लगी हुयी विभिन्न कम्पनियों तथा संस्थानों से ऊर्जा क्रय तथा ऊर्जा विक्रय अनुबन्धों का निष्पादन राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों राजस्थान डिस्कॉमस् पावर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आर.डी.पी.पी.सी.) के माध्यम से कर रही है।

7.2 पिछले वित्तीय वर्ष (2012-13) के सापेक्ष आलोच्य वर्ष में ऊर्जा उपलब्धि, विक्रय एवं प्रसारण क्षति की स्थिति निम्न प्रकार रही :

विवरण	(मिलियन यूनिट)	
	वर्ष 2012-13 (प्रोविजनल)	वर्ष 2013-14 (दिसम्बर,13तक) (प्रोविजनल)
अ. साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन :		
क. तापीय		
1.सतपुडा	0.000	0.000
ख. पन		
1.भाखडा ब्यास परियोजना		
भाखडा	791.439	796.481
देहर	624.489	546.282
पौंग	1042.969	688.589
2.चम्बल एवं इम्पोर्ट(+)/एक्सपोर्ट(-), मध्य प्रदेश को ।	641.593	599.624
योग (ख)	<u>3100.490</u>	<u>2630.976</u>
योग (अ)(क+ख)	<u>3100.490</u>	<u>2630.976</u>
(ब) विद्युत क्रय		
1. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.		
क.तापीय		
1.कोटा तापीय विद्युत गृह	8815.987	6235.361
2.सूरतगढ तापीय विद्युत गृह	9613.847	6154.876
3.धौलपुर कम्बाइन्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट	1123.308	694.371
4.गिरल लिग्नाइट तापीय पावर स्टेशन	362.684	218.186
5.राजवेस्ट	3363.908	3251.382
6. छबडा	2611.597	1879.621
7. बरसिंहसर	1114.076	875.394
8. कालीसिंध	(-)3.131	(-)11.894
9. वी.एस.लिग्नाइट	728.740	593.776
10.रामगढ गैस	476.226	509.869
अडानी पावर, कवई	-	1841.869
योग-1 (क)	<u>28207.242</u>	<u>22242.811</u>

ख. पन		
1. माही	202.751	162.414
2. मांगरोल	7.348	1.466
3. लघु पन परियोजनायें	9.955	5.877
योग-1 (ख)	<u>220.054</u>	<u>169.757</u>
योग 1 (क+ख)	<u>28427.296</u>	<u>22412.568</u>
2.केन्द्र संचालित परियोजनायें एवं अन्य स्रोत		
क. तापीय		
1. सिंगरौली	2786.605	2255.676
2. रिहन्द	2036.237	1766.546
3. उंचाहार	776.054	463.136
4. दादरी तापीय	213.960	199.226
5. फरक्का एसटीपीएस(इआरइबी – एनटीपीसी स्टेपन्स)	63.328	48.094
6. कहलगांव एसटीपीएस(इआरइबी – एनटीपीसी स्टेपन्स)	786.228	530.882
7. झझर	44.380	164.728
8. कोटेश्वर	107.897	112.852
9. सासन(यूएमपीपी)	—	90.012
10. मूंदडा-यू.एम.पी.पी.	1224.572	1928.958
11. बिनानी इण्डस्ट्रीज(कैप्टिव पावर)	2.901	0.271
12. डी.सी.एम.लि(डी.एस.सी.एल)(कैप्टिव पावर)	0.148	0.048
13. आदित्य सीमेंट वर्क्स(कैप्टिव पावर)	3.204	1.751
14. अम्बूजा सीमेंट(कैप्टिव पावर)	9.850	3.455
15. हिन्दुस्तान जिंक(कैप्टिव पावर)	94.501	44.072
16. बिरला व्हाइट सीमेन्ट(कैप्टिव पावर)	0.370	0.116
17. श्री सीमेन्ट लि.(कैप्टिव पावर)	489.702	303.857
18. जे.के.लक्ष्मी(कैप्टिव पावर)	0.296	0.046
19. आर.एस.डब्ल्यू.एम.एल.(कैप्टिव पावर)	0.718	0.227
20. डी.एस.सी.एल इंजेक्शन,पावर एक्सचेंज को, हानि सहित	0.117	0.001
21.राजस्थान सिंटेक्स लि.(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	—	0.028
22. जे.के.व्हाइट(गोटन)	0.028	0.029
23. जे.के. सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	—	0.009
24. ग्रेसिम सीमेन्ट(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	2.725	0.160
25. सी.सी.डब्ल्यू. चितौड़(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	0.245	0.075
26. वन्दर सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	—	2.762
27. बॉसवाडा सिंटेक्स लि.(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	—	—
28. आर.एस.डब्ल्यू.एम.इन्ड.(ओ.ए.)	128.314	83.004
29. आर.एस.डब्ल्यू.एम. लि.(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	—	1.475
30. हिन्दुस्तान जिंक(ओ.ए.)	682.356	458.832
31. श्री सीमेन्ट लि.(ओ.ए.)	59.933	69.307
32. श्री सीमेन्ट लि.(ओ.ए.)(कुषखेडा)	98.416	85.496
योग-2 (क)	<u>9613.085</u>	<u>8615.131</u>
ख. पन		
1. नाथपा-झाकडी	560.736	534.264
2. सलाल	95.225	82.816

3. टनकपुर	44.552	36.810
4. चमेरा	708.212	639.227
5. उरी	262.366	196.585
6. आर.एफ.एफ.	182.500	137.000
7. धौलीगंगा	120.551	31.980
8. टिहरी	261.759	272.730
9. धुलस्ती	245.046	228.490
10. एस.इ.डब्ल्यू.ए.	59.181	43.245
योग-2 (ख)	<u>2540.128</u>	<u>2203.147</u>
ग. आणविक		
1. राज. अणु विद्युत गृह	3150.415	2439.571
2. नरोरा अणु विद्युत गृह	255.131	196.338
योग-2 (ग)	<u>3405.546</u>	<u>2635.909</u>
घ. गैस		
1. अन्ता	405.449	263.607
2. औरैया	211.195	114.066
3. दादरी	363.043	211.054
योग-2 (घ)	<u>979.687</u>	<u>588.727</u>
ड. पवन ऊर्जा / सौर ऊर्जा / बायोमास		
1.आर.एस.पी.सी.एल, आर.एस.एम.एम.एवं अन्य निजी उपक्रम	<u>3757.738</u>	<u>3935.023</u>
च. अन्य स्रोत		
1.यू.आई.	1095.746	(-)1129.955
2.बायलेटरल एनर्जी-अन्य क्षेत्र मे		
पी. टी. सी.	278.871	(-)44.340
पी.एक्स.आई.एल.	16.214	89.513
आई.इ.एक्स.	215.772	73.392
एन. वी. वी. एन	(-)0.100	(-)42.944
एस.सी.एल.	(-)28.258	3.385
डी.एस.ओ.एल.ए.आर.पी.पी.एल.	(-)60.231	(-)52.902
मित्तल	2.288	(-)0.063
पावर एक्सचेंज	3690.923	2145.542
एम.पी.पी.टी.सी.एल.	(-)0.210	-
सिक्किम	18.260	-
टाटा	120.936	164.642
अडानी	326.979	1001.122
इन्सटिक्ट	3.349	41.435
3. बायलेटरल एनर्जी- क्षेत्र के भीतर		
पी. टी. सी.	56.493	(-)93.831
एन. वी. वी. एन	-	(-)50.477
रिलायन्स	119.478	-
मित्तल	104.503	(-)127.616
बी.आर.पी.एल.	(-)93.613	-
आर.पी.पी.सी.	43.130	970.977

के.डब्ल्यू.एच.इ.पी.	44.190	—
पी.एक्स.आइ.एल.	3.918	36.014
आइ.इ.एक्स.	26.025	67.621
4. विक्रय विस्द्ध इंजेक्शन , पी.एक्स./आई.ई.एक्स.ट्रेडर को योग-2 (च)	305.916	435.207
	6290.579	3486.722
योग 2 (क+ख+ग+घ+ड.+च)	26586.763	21464.659
कुल ऊर्जा कय योग (ब)(1+2)	55014.059	43877.227
(स) सकल ऊर्जा उपलब्धि (उत्पादन+कय)	58114.549	46508.203
(द) ग्रिड सब- स्टेपनों पर सहायक तंत्र में प्रयुक्त ऊर्जा	(-)24.611	(-)20.832
(य) राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा	54982.028	43993.864
(र) अन्य राज्यों तथा कामन पुल द्वारा ली गयी उर्जा एवं आर.पी.पी.सी. द्वारा मध्य प्रदेश रा.वि.मं. को विक्रय	364.816	154.934
(ल) कुल प्रसारण क्षति	3132.521	2514.339
(व) कुल प्रसारण क्षति का प्रतिषत $\{(ल\div स)ग100\}$	5.39	5.41
(क) राज्य के भीतर प्रसारण तंत्र मे शुद्ध प्रवाह	57373.480	45899.168
(ख) राज्य के भीतर प्रसारण क्षति	2385.720	1905.305
(ग) राज्य के भीतर प्रसारण क्षति का प्रतिषत $\{(ख\div क)ग100\}$	4.16	4.15
(घ) उत्तरी ग्रिड से ऊर्जा कय	21052.032	18199.306
(ड.) राज्य के बाहर प्रसारण क्षति	741.070	609.034
(च) राज्य के बाहर प्रसारण क्षति का प्रतिषत $\{(ड.\div घ)ग100\}$	3.52	3.35

8. नियोजित निगम कर्मचारी

प्रसारण निगम में विभिन्न पदों पर तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारी कार्य करते हैं। वर्ष 2012-13 के अन्त में नियोजित निगम कर्मचारियों की संख्या व उनका प्रतिषत अनुपात निम्न था :

कर्मचारी श्रेणी	कर्मचारी	
	संख्या	प्रतिषत
1. तकनीकी :		
क. अधिकारी	771	9.12
ख. कनिष्ठ अभियन्ता	1826	21.59
ग. अधीनस्थ	4160	49.20
योग-1	6757	79.91
2. गैर तकनीकी:		
क. अधिकारी	66	0.78
ख. मंत्रालयिक	986	11.66
ग. चतुर्थ श्रेणी	647	7.65
योग-2	1699	20.09
सकल योग (1+2)	8456	100.00

8. नियोजित निगम कर्मचारी

प्रसारण निगम में विभिन्न पदों पर तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारी कार्य करते हैं । वर्ष 2012-13 के अन्त में नियोजित निगम कर्मचारियों की संख्या व उनका प्रतिषत अनुपात निम्न था :

कर्मचारी श्रेणी	कर्मचारी	
	संख्या (प्रोवि.)	प्रतिषत
1. तकनीकी :		
क. अधिकारी	754	8.88
ख. कनिष्ठ अभियन्ता	1535	18.07
ग. अधीनस्थ	4315	50.79
योग-1	6604	77.74
2. गैर तकनीकी:		
क. अधिकारी	84	0.99
ख. मंत्रालयिक	1078	12.69
ग. चतुर्थ श्रेणी	729	8.58
योग-2	1891	22.26
सकल योग (1+2)	8495	100.00